UPLL010030762026

Bail Application/1106/2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), ललितपुर।
उपस्थित –चन्द्रगुप्त यादव, उच्चतर न्यायिक सेवा,
जे. ओ. कोड़ – UP 3820
जमानत प्रार्थनापत्र सं.–1106/2026

1– श्रीमति सविता पत्नि स्व० प्रीतम लोधी उम्र करीब 35 वर्ष,
2– श्रीमति तेजकुँवर पत्नि जाहर सिंह लोधी उम्र करीब 50 वर्ष,
3– श्रीमति रंजना पत्नि अरविन्द लोधी उम्र करीब 30 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम दावनी थाना जाखलौन जिला ललितपुर

आवेदिकागण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–113/2026
अंतर्गत धारा – 108, 115(2), 352 बी.एन.एस.,
थाना– जाखलौन, जिला ललितपुर।

10–09–2026:

1. अभियुक्तागण श्रीमती सविता, श्रीमती तेजकुँवर व श्रीमती रंजना की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मु0 अ 0 सं0–113/2026, श्रीमती सविता आदि बनाम उ.प्र.राज्य, अन्तर्गत धारा 108, 115(2), 352 बी.एन.एस., थाना जाखलौन, जिला ललितपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत आवेदन पर अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता एंव विद्वान लोक अभियोजन के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

3. अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्तगण बेगुनाह एवं बेकसूर है वादी ने फर्जी मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना जाखलौन से मिलकर अपने बचाव में झूठा फसाया है तथा झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 1 माह 4 दिन बाद विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 15 किलोमीटर दूर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी चश्मदीद साक्षी भी नहीं है। मृतका श्रीमति रानी के पंचायतनामा के समय वादी एवं अन्य साक्षीगण जो वादी के परिजन है उन्होने भी उस समय अभियुक्तागण के नाम सम्बन्धित पुलिस को नहीं बताये है। पंचायतनामा के पूर्व पुलिस थाना जाखलौन को जो सूचना दी गयी है उसमें भी अभियुक्तागण के नामों का उल्लेख नहीं है बल्कि अज्ञात कारणों से आत्महत्या करने का उल्लेख किया गया है। अभियुक्तागण की गिरफ्तारी विधिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गयी है उन्हें गिरफ्तारी के आधार का नोटिस भी नहीं दिये गये है तथाकथित जो भी नोटिस

Digitally signed by CHANDRAGUPT YADAV
Date: .. :: IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हड़बड़ी में अपनी कारगुजारी छिपाने के उद्देश्य से दिये गये है वह बिल्कुल बनावटी प्रतीत हो रहे है जैसे अभियुक्ता श्रीमति रजना के नोटिस को श्रीमति तेजकुँवर को तामील कराया है इसी तरह तेजकुँवर के नाम का गिरफ्तार के आधार का नोटिस श्रीमति सविता को प्राप्त कराया है। इसी प्रकार गिरफ्तारी के समय का कोई वीडियोग्राफी भी नहीं करायी गयी है। जबकि विधि अनुसार गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का आधार तथा गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी करायी जाना आवश्यक है। इसलिए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया शून्य है मात्र इसी आधार पर उनकी जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है। अभियुक्तागण द्वारा मृतका रानी की कभी कोई मारपीट नहीं की गयी है और न ही उसके साथ किसी प्रकार का कोई गाली गलौच तथा उल्टे सीधे लांछन भी नहीं लगाये गये है। बल्कि वादी ने अपने बचाव में अभियुक्तगण को गाँव की पार्टीबन्दी एवं आपसी जमीन सम्बन्धि विवाद को लेकर झूठा फसाया है। अभियुक्तागण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 108 बी०एन०एस० का अपराध गठित नहीं होता है क्योंकि मृतका द्वारा अपने घर के अन्दर फासी लगायी गयी पति–पत्नि के विवाद के कारण ही मृतका का फासी लगाना हो सकता है। अभियुक्तागण का किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तागण के विरूद्ध घटना को कोई मोटिव नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है जो भी साक्षी दर्शाये गये है वह सब हितबद्ध साक्षी है उनके कथनों पर विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। अभियुक्तागण गृहणी महिलाये है उनके बच्चे भी है उनके पालन पोषण का दायित्व भी अभियुक्तागण के ऊपर है इसलिए महिला होने के आधार पर अभियुक्तागण की जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है। अभियुक्तगण ग्राम दावनी थाना जाखलौन जिला ललितपुर की निवासिनी है उनकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति उपरोक्त ग्राम में है उनके भागने एवं फरार होने की सम्भावना नहीं है। अभियुक्तागण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। अतः श्रीमान् जी से विनय है कि उपरोक्त एवं अन्य आधारों पर अभियुक्तागण को जमानत दौरान जॉच एवं परिक्षण स्वीकृत करने की कृपा करें।

4. वादी मुकदमा की ओर से जमानत पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्तागण द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी के साथ मारपीट कर उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित कर आत्महत्या के लिए उकसाया गया जिसके कारण वादी की पत्नी मानसिक रूप से तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। अभियुक्तगण जेल से रिहा होने पर साक्ष्यों से छेडछाड करने की सम्भावना है, साक्षियो को डरायेगें धमकायेगें व गम्भीर घटना कारित करेगें। अभियुक्तगण के परिवारजन राजीनामा करने हेतु दबाव डाल रहे हैं। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है। उक्त आपत्ति को अभियोजन द्वारा सबमिट किया गया है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्तागण द्वारा वादी की पत्नी के साथ गाली गलौच, मारपीट की व लाँछन लगाया जिससे उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी जगभान सिंह पुत्र प्रताप सिंह नि० ग्राम दावनी थाना जाखलौन जनपद ललितपुर का रहने वाला हूँ दिनाक 07/04/26 वो मेरी पत्नी श्रीमति रानी उम्र करीब 25 वर्ष अपने घर के बाहर झाडू लगा रही थी कि समय करीब 8 बजे सुबह विपक्षीगण 1. अरविन्द पुत्र जाहर सिंह, 2. सविता पत्नी प्रीतम, 3. रंजना पत्नी अरविन्द, 4. तेजकुँवर पत्नी जाहर सिंह लोधी नि०गण ग्राम दावनी थाना जाखलौन जनपद ललितपुर आये और मेरी पत्नी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगे तथा मेरी पत्नी पर उल्टे सीधे लांछन लगाने लगे और कहने लगे थे कि तुझे समाज मे जीने का कोई हक नहीं है शोर शराबा सुनकर मेरा चाचा रूप सिंह पुत्र रामदयाल व गांव के ही रामकिशन पाठक पुत्र बालमुकुद पाठक

मौके पर आ गये थे तथा मेरी पत्नी को उक्त लोगो से बचाया था मेरी पत्नी के साथ विपक्षीगण द्वारा कारित की गयी घटना से मेरी पत्नी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गयी थी मेरी पत्नी के द्वारा विपक्षीगण द्वारा दी गयी प्रताडना से तंग आकर दिनांक 07.04.26 को समय करीब 12 बजे दिन मे अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी उक्त घटना से प्रार्थी काफी दुखी था तथा कुछ भी समझ मे नही आ रहा था एँव मै आज थाने पर आया हूँ महोदय से अनुरोध है कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

7. सम्बंधित थाने से आख्या प्राप्त हुयी। सम्बंधित थाने द्वारा प्रस्तरवार आख्या प्रस्तुत करते हुये यह अंकित किया गया है कि आवेदिकागण/अभियुक्तागण आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति की महिलाएं हैं यदि इसको जमानत पर छोडा गया जमानत की शर्तों का उल्लघंन करेंगी, न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करेंगी एंव पुनः अपराध कारित करने से इंकार नही किया जा सकता एंव फरार होने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

8. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)को विस्तृत रूप से सुना गया।

9. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तागण के विरूद्ध आत्महत्या का दुष्प्रेरण, स्वेच्छा उपहति व लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान करने का अभियोग लगाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि घटना दिनाँक 07.04.2026 की दर्शायी गयी है तथा उक्त घटना के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.05.2026 को दर्ज करायी गयी है। वादी मुकदमा द्वारा दिनाँक 07.04.2026 को एक फौती सूचना दी गयी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 'आज दिनांक 07.04.2026 को समय करीब दो बजे दोपहर मेरी पत्नी रानी आयु लगभग 31 वर्ष ने अपने घर में बने कमरें में अज्ञात कारणवश फांसी लगा ली है। पंचायतनामा की कार्यवाही में भी आत्महत्या का कारण नही दर्शाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा उक्त घटना के सम्बंध में तहरीर लगभग एक माह बाद प्रस्तुत की जिसमे प्रथम बार कारण दर्शाते हुये मृत्यु का समय 12 बजे अंकित किया गया है। अभियुक्तागण दिनाँक 10.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तागण का कोई भी आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्तागण के विरूद्ध विवेचनोपरांत आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है तथा लम्बे समय तक अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा मे अवरूद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अग्रेतर अभियोजन द्वारा कोई भी ठोस तथ्य/तर्क प्रस्तुत नही किया गया है जिससे कि अभियुक्तागण के पलायन की सम्भावना दर्शित होती हो। मामले के वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण एंव परिचर्चा को दृष्टिगत रखते हुये, गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, अभियुक्तागण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

10. आवेदिकागण/अभियुक्तागण श्रीमती सविता, श्रीमती तेजकुँवर व श्रीमती रंजना की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 113/2026, श्रीमती सविता आदि बनाम उ.प्र.राज्य, अन्तर्गत धारा 108, 115(2), 352 बी.एन.एस., थाना जाखलौन, जिला ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1106/2026 सशर्त स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तागण प्रत्येक के द्वारा मुवलिग 1,00,000–रूपये का व्यक्तिगत व समान धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभूगण प्रस्तुत करने पर इस शर्त पर रिहा किया जावे कि अभियुक्तागण विचारण में सहयोग करेंगी, गवाहों को किसी प्रकार से डरायेगी धमकायेगी नही, किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नही रहेंगी।

11. इस आदेश के पूर्ववर्ती अनुच्छेद में सम्प्रेक्षण, यदि कोई हो तो वह मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेगा, ऐसे सम्प्रेक्षण मात्र प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु किये गये हैं।

12. इस आदेश की एक प्रति अभियुक्तगण को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाये।

13. अहलमद को निर्देशित किया जाता है, कि इस आदेश की एक प्रति जरिये ई–मेल जिला कारागार, ललितपुर प्रेषित करें।

(चन्द्रगुप्त यादव)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश,
ललितपुर।
UP 3820

दिनांक: 10.09.2026